

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: एफ.4(3)वित्त/बीमा/2019 लूज

जयपुर, दिनांक : 15.01.2025

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 15.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 6 तथा 18 पर किए गये स्थानान्तरण निरस्त करते हुए क्रम संख्या 4 में अंकित नवीन पदस्थापन, अतिरिक्त निदेशक, अजमेर संभाग, अजमेर के स्थान पर अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा योजना, मुख्यालय जयपुर पढ़ा जावे।

आज्ञा से,



(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा) विभाग

15/1/25